मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अध्याय 5 अन्तर्गत,म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग,मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र.F.6-12/98/A-XI, दिनांक 10.01.2007 से एवं माध्यस्थम और सूलह अधिनियम 1996 (1996 का संख्यांक 26) के सुसंगत कृत्यों के पालन हेतु गठित।)

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश।
विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

जावक क्रमांक 149-50
भोपाल, दिनांक 27/01/2020

प्रकरण क्रमांक एम.एस.ई.एफ.सी/659/2015

आवेदक
मेसर्स विद्या सिलेण्डर्स प्रायवेट लि. प्लॉट
क्रमांक 112–ए,
औद्यौगिक क्षेत्र, मण्डीदीप,
जिला रायसेन–462 046
(मध्यप्रदेश)

विरूद्ध

अनावेदकगणः–
मुख्य अभियन्ता,
झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन,
लाईन टैंक रोड,
रांची – 834 001 (झारखण्ड)

अन्तिम सुनवाई दिनांक 08.12.2020
माध्यस्थम आदेश दिनांक 27/1/.2020

आवेदक ने दिनांक 05.11.2015 को इस काउन्सिल के समक्ष, अनावेदक के विरूद्ध मूलधन राशि रू. 10,67,413/– एवं इस राशि पर दिनांक 31.10.2015 तक की संगणित ब्याज राशि रू. 12,04,924/– कुल राशि रू. 22,72,337/– का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है :–

1. अनावेदक द्वारा प्री–फेब्रिकेटेड हट्स विथ वरांडा इरेक्शन/टायलेट ब्लॉक, निर्माण हेतु रांची, गिरीडीह एवं देवघर को प्रदाय एवं स्थापित करने हेतु कुल लागत राशि रू. 26,77,826/– का कार्य आदेश क्रमांक CE/714/627, दिनांक 09.07.2011 को जारी किया गया है।

अनावेदक द्वारा 8 प्री–फेब्रिकेटेड हट्स निर्माण हेतु टेण्डर गांव जिला रांची, में स्थापित करने हेतु कुल लागत राशि रू. 61,28,242/– का कार्य आदेश क्रमांक CE/1600/489, दिनांक 30.05.2012 को जारी किया गया है।

2. आवेदक द्वारा कार्य संपादित कर दिनांक 24.12.2011 से दिनांक 10.05.2013 तक कुल राशि रू. 90,19,628/– के 5 देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत किये गये जिसमें से अनावेदक द्वारा टीडीएस की काटी गई राशि सहित प्रत्येक देयक में से राशि काटकर राशि रू. 79,52,215/– का भुगतान किया गया है तथा कुल राशि रू. 10,67,413/– का भुगतान अनावेदक द्वारा नही किया गया है।

3. आवेदक द्वारा अनावेदक को पत्र दिनांक 22.09.2011, 24.09.2011, 22.11.2011, एवं 23.08.2012, भेजकर बकाया राशि के भुगतान हेतु निवेदन किया गया, किन्तु अनावेदक द्वारा जवाब नही दिया गया।

.....2

4. अनावेदक के कार्यादेश में भुगतान की दिनांक निश्चित नही की गइ है, लेकिन पूर्णता पर देय है। अनवेदक के पत्र दिनांक 20.01.2015, 14.03.2015 एवं पत्र दिनांक 18.05.2015 से प्रमाणित है कि आवेदक द्वारा अनुबंध की शर्तो के अनुसार कार्य पूर्ण किया जा चुका है। आवेदक ने कई पत्र लिखें किन्तु अनावेदक द्वारा आवेदक को शेष राशि रू. 10,67,413/– का भुगतान नही किया गया है।

5. अतः आवेदक द्वारा देयकवार दावा की गई बकाया मूलधन राशि रू. 10,67,413/– एवं इस पर दिनांक अपाईन्टेड डे दिनांक से दिनांक 31.10.2015 तक की संगणित ब्याज राशि रू. 12,04,924/– एवं भुगतान दिनांक तक की ब्याज राशि अनावेदक से दिलाने हेतु निवेदन किया है।

काउन्सिल के नोटिस क्रमांक 1817–1818 दिनांक 01.12.2015, से आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र, अनावेदक को भेजकर 15 दिवस में उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

अनावेदक द्वारा दिनांक 25.01.2017 को उत्तर प्रस्तुत किया जिसमें लेख किया गया कि :–

1. अनावेदक द्वारा प्री–फेब्रिकेटेड पोर्टेबल हट्स के निर्माण हेतु कार्य आदेश क्रमांक CE/714/627, दिनांक 09.07.2011 एवं क्रमांक CE/1600/489, दिनांक 30.05.2012 आवेदक को जारी किया गया था। आवेदक द्वारा कार्यादेश दिनांक से एक माह में कार्य पूर्ण किया जाना था। अनावेदक द्वारा आवेदक को नियत समयावधि में कार्य पूर्ण करने हेतु कहा जाता रहा है। आवेदक नियत समयावधि, एक माह में कार्य पूर्ण करने में असफल रहा है।

2. आवेदक द्वारा जिस मूलधन राशि का दावा किया गया है, वह अनावेदक पर बकाया नही है अपितु आवेदक द्वारा नियत समयावधि में कार्य पूर्ण नही किये जाने से 10 प्रतिशत राशि आवेदक के देयको से अनावेदक द्वारा काटी गई है। आवेदक द्वारा अनावेदक से कार्य पूर्ण करने हेतु समयावधि बढ़ाने हेतु मांग की गई। अनावेदक द्वारा समयावधि बढ़ाने के उपरांत भी आवेदक निर्धारित शेड्यूल के अनुसार कार्य पूर्ण करने में असफल रहा है। अतः जनरल कान्ट्रेक्ट रूल के अनुसार आवेदक के देयको से 10 प्रतिशत राशि समय पर कार्य पूर्ण नही होने से पेनाल्टी के रूप में काटी गई है।

3. आवेदक द्वारा संपादित किये गये कार्य के प्रति कोई बकाया राशि अनावेदक पर कोई राशि बकाया नही होने से माननीय काउन्सिल के समक्ष संधारणीय नही है।

अनावेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर आवेदक द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 19.04.2017 से निम्नानुसार रिज्वाईण्डर प्रस्तुत किया गया है:–

1. अनावेदक द्वारा कायादेश में आवेदक द्वारा कार्यादेश दिनांक से एक माह में कार्य पूर्ण किया जाने का उललेख किया गया है। तत्संबंध में आवेदक द्वारा मौखिक आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि कार्य पूर्ण करने का दिया गया एक माह का समय अपर्याप्त है। आवेदक द्वारा पत्र दिनांक 10.11.2012 से कार्य पूर्ण करने हेतु 30 दिवस का अतिरिक्त समय दिया गया। अनावेदक द्वारा पत्र दिनांक 12.11.2012 से 45 दिवस की समयावधि नियत की गई। इससे स्पष्ट है कि अनावेदक जानता था कि 30 दिवस की समयावधि में कार्य पूर्ण करना असंभव है।

2. दोनो पक्षों द्वारा अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया है। अनुबंध में कही भी उल्लेखित नही है कि

.....3

आवेदक द्वारा कोई विलंब होने अथवा समय बढ़ाये जाने पर आवेदक को देय बिलों की राशि में से राशि काटी जावेगी।

3. आवेदक द्वारा अनावेदक से 3 साईट्स पर सामग्री के प्रदाय एवं स्थापना हेतु सामग्री ले जाने के लिय रोड परमिट उपलब्ध कराने एवं साईट्स पर पिलन्थ एवं गिट्टी काय पूर्ण कराने हेतु पत्र दिनांक 22.09.2011, 24.09.2011, 22.11.2011 एवं 23.08.2012 से निवेदन किया गया था। साईट्स पर प्लिन्थ एवं गिट्टी कार्य पूर्ण कराने का दायित्व अनावेदक का था। आवेदक का मटेरियल दिनांक 10.09.2011 को अनावेदक की साईट पर ले जाने हेतु तैयार था, किन्तु अनावेदक द्वारा रोड परमिट उपलब्ध नही कराने से साईट पर सामग्री समय पर भेजी नही जा सकी थी। अतः स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा मटेरियल साईट्स पर भिजवाने में विलंब के लिये अनावेदक भी समान रूप से जिम्मेदार है।

4. अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत रिज्वाईण्डर को स्वीकार कर, आवेदक का दावा मान्य करते हुए आवेदक के पक्ष में सहायता प्रदान करने हेतु निवेदन है।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 16.06.16, 03.11.16, 25.01.17, 19.04.17, 21.02.18, 30.05.19 एवं दिनांक 08.12.2020 को सुनवाई की गई।

सुनवाई दिनांक 30.05.2019 को काउन्सिल द्वारा लियेा गयेा निर्णय निम्नानुसार हैः–

आवेदक मेसर्स विध्या सिलेण्डर्स प्रा. लि. मंडीदीप, जिला रायसेन की ओर से श्री अंकुर पस्तोर, अधिवक्ता उपस्थित हुए। अनावेदक मुख्य अभियन्ता, झारखण्ड पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन, लाईन टेंक रोड़, रॉची (झारखण्ड) की ओर से श्री इन्द्रनील भादुड़ी, अधिवक्ता उपस्थित हुए।

काउन्सिल ने उभयपक्षों को अवगत कराया कि प्रकरण प्रथम सुनवाई दिनांक 16.06.2016 से 6 सुनवाई दिनांकों को सूलह हेतु नियत किया जाता रहा है, किन्तु दोनों पक्षों द्वारा अभी तक सुलह की दिशा में कोई कार्यवाही नही की गई है। क्या उभयपक्ष आज सुलह करना चाहते है।

उभय पक्षों द्वारा सुलह की संभावना से इंकार किया गया। प्रकरण में उभयपक्षों को सुलह हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये, किन्तु उभयपक्षों द्वारा सुलह की दिशा में कोई कार्यवाही नही किये जाने से, सुलह की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

अनावेदक द्वारा आवेदक को प्रदत्त कार्यादेश दिनांक 09.07.2011 एवं दिनांक 30.05.2012 के जांच प्रतिवेदन की प्रति प्रस्तुत की गई जिसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध कराई गई।

आवेदक ने अवगत कराया कि उनके द्वारा संशोधित दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर अनावेदक द्वारा उत्तर प्रस्तुत नही किया है।

अनावेदक ने व्यक्त किया कि आवेदक के संशोधित आवेदन पत्र का उत्तर 15 दिवस में प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

काउन्सिल ने उभयपक्षों को अवगत कराया कि आगामी सुनवाई दिनांक को प्रकरण माध्यस्थम कार्यवाही अन्तर्गत, अन्तिम बहस हेतु नियत किया जाता है। उभयपक्ष लिखित बहस भी प्रस्तुत कर सकते है।

.....4

उपरोक्त निर्णयानुसार अनावेदक द्वारा आवेदक के संशोधित दावा आवेदन पत्र का उत्तर प्रस्तुत नही किया गया है।

अनावेदक द्वारा सुनवाई दिनांक 30.05.2019 को उनके द्वारा कार्यादेशवार दो जांच प्रतिवेदन क्रमांक 224 एवं 225 दिनांक 20.04.2019 प्रस्तुत किया गया, जो निम्नानुसार है :–

1. **जांच प्रतिवेदन क्रमांक 224, दिनांक 20.04.2019 – राँची जिलान्तर्गत टेन्डर ग्राम स्थित सी0 आई0 ए0 टी0 स्कूल परिसर में प्रीफैब्रिकेटेड हट्स की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य –**

मुख्य अभियंता, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची के ज्ञापांक-CE/1600/187 दिनांक–15/04/2019 के द्वारा विद्या सिलिण्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्वालियर द्वारा राँची जिलान्तर्गत टेन्डरग्राम स्थित सी०आई०ए०टी० स्कूल परिसर में प्रीफैब्रिकेटेड हट्स की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन कार्य के विपत्र में अर्थदण्ड लगाया गया था, जो नियमतः सही था या नहीं जिसकी विस्तृत जाँच हेतु एक समिति का गठन किया गया है। समिति का निर्णय निम्नवत् है :–

विद्या सिलिण्डर्स प्राइवेट लिमिटेड ने कार्य को 10.04.2013 को समाप्त किया है। इस कार्य को पूर्ण करने में विद्या सिलिण्डर्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा दिनांक 28.12.2012 से 10.04.2013 तक कुल 104 दिनों का विलंब किया गया है। अतः डी0जी0एस0 एण्ड डी0 के विलंब संबंधि शर्त्तों **Page no 68 Article no. 10 (As enclosed page no 8 to 12)** के अनुसार **(@ 2 % per month or a part of month 2 x 4 = 8 %)** कुल 8% अर्थदण्ड बनता है,जो रू0 4,90,259.36 है। इनके विपत्र से **EOT** के मद में रू0 6,12,824.00 काटा गया है। जो रू0 1,22,564.64 ज्यादा काट कर रखा गया है।

2. **जांच प्रतिवेदन क्रमांक 225, दिनांक 20.04.2019 – राँची देवघर, गिरिडीह स्थित गृह रक्षा वाहिनी परिसर में पोर्टेबुल हट्स की आपूर्ति एवं अधिष्ठान का कार्य –**

मुख्य अभियंता, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची के ज्ञापांक-CE/1600/187 दिनांक–15/04/2019 के द्वारा विद्या सिलिण्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्वालियर द्वारा **राँची देवघर, गिरिडीह स्थित गृह रक्षा वाहिनी परिसर में पोर्टेबुल हट्स की आपूर्ति एवं अधिष्ठान का कार्य** के विपत्र में अर्थदण्ड लगाया गया था, जो नियमतः सही था या नहीं जिसकी विस्तृत जाँच हेतु एक समिति का गठन किया गया है। समिति का निर्णय निम्नवत् है :–

विद्या सिलिण्डर्स प्राइवेट लिमिटेड ने कार्य को 12.02.2013 को समाप्त किया है। इस कार्य को पूर्ण करने में विद्या सिलिण्डर्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा कुल 89 दिनों का विलंब किया गया है। अतः डी0जी0एस0 एण्ड डी0 के विलंब संबंधि शर्त्तों **Page no 68 Article no. 10** के अनुसार **(@ 2 % per month or a part of month 2 x 3 = 6 %)** कुल 6% अर्थदण्ड बनता है, जो रू0 1,60,669.56 है। इनके विपत्र से **EOT** के मद में रू0 2,32,671.00 काटा गया है। जो रू0 72,00.44 ज्यादा काट कर रखा गया है।

.....5

सुनवाई दिनांक 08.12.2020 को आवेदक मेसर्स विद्या सिलेन्डर्स प्रा0लि0, मण्डीदीप की ओर से श्री एम0के0 मित्तल, डायरेक्टर एवं श्री अंकुर परतोर उपस्थित। अनावेदक मुख्य अभियंता, झारखंड पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन, रांची अनुपस्थित रहे।

बैठक में आवेदक को सुना गया। आवेदक के अनुसार अनावेदक ने उनकी आंतरिक समिति में समस्त बकाया को स्वीकार किया है ।

काउंसिल ने आवेदक को मूलधन ले कर समझौता करने की समझाईश दी। आवेदक ने मूलधन लेने हेतु सहमति दी।

काउंसिल द्वारा आवेदक की सहमति उपरांत बकाया मूलधन प्रदान करने हेतु आदेश पारित करने का निर्णय लिया। अंतिम आदेश जारी हो।

आवेदक द्वारा अनावेदक पर निम्नानुसार देयको की बकाया राशि हेतु संशोधित दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है :–

क्र.	बिल क्रमांक एवं दिनांक	बिल राशि	टीडीएस राशि	भुगतान योग्य राशि	प्राप्त भुगतान	अनावेदक पर बकाया राशि
1	vcpl/2011-2012/Ranchi/1	8,92,608.00	71,705.00	8,20,903.00	7,49,198.00	71,705.00
2	vcpl/2011-2012/Ranchi/2 Devghar	9,04,424.00	71,705.00	8,32,719.00	7,61,014.00	71,705.00
3	vcpl/2013-2014/Ranchi/1 Giridiha	9,15,186.00	50,540.00	8,64,646.00	7,83,175.00	81,471.00
4	vcpl/2012-2013/JHK 01	57,05,123.00	87,959.00	56,17,164.00	53,76,919.00	2,40,245.00
5	vcpl/2012-2013/JHK 01(B)	6,02,287.00	--	6,02,287.00	--	6,02,287.00
				कुल बकाया राशि		10,67,413.00

सुनवाई दिनांक 08.12.2020 को प्रकरण अन्तिम बहस हेतु नियत किया गया, किन्तु अनावेदक अनुपस्थित रहे।

काउंसिल ने आवेदक को मूलधन ले कर समझौता करने की समझाईश दी। आवेदक ने मूलधन लेने हेतु सहमति दी। इस आधार पर वाद में उल्लेखित ब्याज राशि अमान्य की जाती है।

अतएव, "म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017" के नियम–09 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, काउन्सिल निर्णय देती है कि अनावेदक मुख्य अभियन्ता, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन, लाईन टेंक रोड, रांची–834 001 (झारखण्ड) द्वारा, बकाया मुलधन राशि

.....6

रू. 10,67,413/– (रूपये दस लाख सड़सठ हजार चार सौ तेरह मात्र) का भुगतान आवेदक मेसर्स विद्या सिलेण्डर्स प्रायवेट लि. प्लॉट क्रमांक 112–ए, औद्यौगिक क्षेत्र, मण्डीदीप, जिला रायसेन–462 046 (मध्यप्रदेश) को आदेश पारित होने की सूचना प्राप्ति दिनांक से, 30 दिवस में किया जावे।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 19 में निहित आज्ञापक प्रावधान अनुसार, अनावेदक, पारित इस आदेश/अवार्ड के विरूद्ध 75 प्रतिशत राशि, सक्षम प्राधिकारी/अपील न्यायालय के समक्ष जमा कर, इस आदेश/अवार्ड के विरूद्ध अपील कर सकेगा।

प्रकरण में पारित आदेश की प्रति निःशुल्क उभयपक्षों को प्रदान की जावेगी। अभिप्रमाणित प्रति के लिए नियमानुसार सचिव, "मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद" भोपाल को आवेदन कर, प्रति पृष्ठ हेतु रू. 2/– के मान से लेखा शाखा में राशि जमा करना आवश्यक होगा।

उभयपक्ष अपना–अपना वाद स्वयं वहन करेंगे।

(विवेक पोरवाल)
उद्योग आयुक्त एवं
अध्यक्ष,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल।

(जी. एस. सरमा)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक महाप्रबंधक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भोपाल।

(सी. मिंज)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक प्रबंधक,
एमएसएमई विकास संस्थान, भोपाल।